

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
-------------	---------------------------	----------------------

नाम न्यायालय
केस संख्या 80/2022

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही
-------------	---------------------------

पिपेटे वास्तु का.पत्र पेश किया। दिनांक 21/03/24
शांतिनिल निवास। विषय गणेश नारायण पट्ट
प्रति वकील प्रतिवादी का दिनांक 21/03/24
गए। पत्रालय को मांगना पेश/पत्र
वहान आपति का.पत्र मांगना 21/03/24
के मटे। पत्रालय दिनांक 26/3/24
को पेश हो।

**उप खण्ड अधिकारी
मुमवारामगढ़**

26/03/24 पत्रालय पेश हुई। वकील उपर
पत्र उपर। प्रतिवादी गणेश की कोर
से आपति का पत्र पेश किया
जो शांतिनिल निवास रहे। पत्र आपति
पर सह हूँ पत्रालय दिनांक -
30/04/24 को पेश हो।

**उप खण्ड अधिकारी
मुमवारामगढ़**

30/04/24 पत्रालय पेश हुई। वकील उपर पर
उपर। वकील उपर पर की वदल
मांगना पर। पत्रालय दिनांक 21/5/24
को पेश हो।

**उप खण्ड अधिकारी
मुमवारामगढ़**

21/5/24 पत्रालय पेश हुई। वकील उपर पर 300
उपर। वकील उपर पर का वहान का

कुर्ज
21
22
19
45
12

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय

दाखल

बनाम

अविनाश कर्मा

केस संख्या

80/2022

अविनाश कर्मा

जमवारागढ

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>कुर्जात तलेरि पर 5 मापसि पर (30) गरी। पत्रावली को मजबूत कर दिया गया। पत्रावली मापसि की (वारिस की मांगी है) लकीरवादी ने पाठ कुर्जात को लकीर करके की विवरण लिखा। मांगी वादी की वाद अन्याय धारा 53, 188 राज. फा. श. का आदेश को मजबूत रख के लकीर करके पाठ है। नया मुकदमा कुर्जात के वादी के वाद को नकारा है। निम्न लिखित पाठ है। निम्न निम्न के डिडी पचाई पृष्ठ 16 लिखा पाठ शामिल किया कि पाठ। निम्न मांग लगे हुए।</p> <p>13 गज गज।</p> <p>पत्रावली के मांग 23 पर होकर 72 पर निकल है। नया वाद क्षति होकर 51 लिख पर है।</p>	

उप खण्ड अधिकारी
जमवारागढ

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जमवारामगढ़, जिला जयपुर ग्रामीण
पीठासीन अधिकारी : श्री ललित मीना RAS

मिसल नं.
80/2022

तारीख दायर
06/06/2022

तारीख फैसला
02/05/2024

1. डालूराम पुत्र शंकर जाति कोली निवासी ग्राम पालडी खुर्द, तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर पुलिस थाना जमवारामगढ़(राजस्थान)।

वादी

बनाम

1. काना पुत्र हुक्मा जाति कोली
2. प्रभू दयाल पुत्र दल्ला जाति कोली
3. बिरदा पुत्र हुक्मा जाति कोली
4. मन्नी पत्नी स्व० दल्ला जाति कोली
5. रामसहाय पुत्र दल्ला जाति कोली
6. श्यामलाल पुत्र दल्ला
समस्त जाति कोली, निवासीगण ग्राम पालडी खुर्द, तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर पुलिस थाना जमवारामगढ़ (राजस्थान)।
7. तहसीलदार जमवारामगढ़ जिला जयपुर (राजस्थान)।
8. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार लैण्ड होल्डर, तहसील जमवारामगढ़, जिला जयपुर (राजस्थान)।

प्रतिवादीगण

उपस्थित अभिभावक

श्री अरविन्द शर्मा :- वकील वादी

श्री रमेश कुमार जाजोरिया :- वकील प्रतिवादी सं० 1 ता 3 व 5, 6

दावा बाबत बंटवारा, स्थाई निषेधाज्ञा

अन्तर्गत धारा-53, 188 आर०टी०एक्ट

-: निर्णय :-

वादी की ओर से एड० श्री अरविन्द शर्मा ने यह वाद विरुद्ध प्रतिवादीगण इस कथन के साथ पेश किया कि ग्राम पालडी खुर्द, तहसील जमवारामगढ़ में स्थित वादग्रस्त आराजियात खसरा नम्बर 166, 167 भूमियां हैं। जिनका वादी संयुक्त खातेदार हैं जिसका अभी तक विधिक बंटवारा नहीं हुआ है। वादी विरुद्ध प्रतिवादीगण तकासमा डिक्री किया जाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार वादिया का पर्चा लगान पृथक से कायम करवाया जावें। प्रकरण में विधिवत सुनवाई करते हुए दिनांक 05.01.2023 को प्राथमिक डिक्री किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार जमवारामगढ़ ने अपने पत्रांक/एल०आर०/2024/258 दिनांक 01.02.2024 द्वारा कुर्रजात रिपोर्ट तैयार कर पेश की। प्राप्त कुर्रजात रिपोर्ट पर वकील प्रतिवादी ने आपत्ति पेश की। जिस पर विधिवत सुनवाई की गई तथा वकील उभय पक्षों की बहस आपत्ति पर सुनी गई। आपत्ति कुर्रजात खारिज की गई। वकील वादी ने कुर्रजात स्वीकार करने में सहमति जाहिर की। बहस सुनी जाकर निर्णय किया गया।

पत्रावली का अद्योपान अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार जमवारामगढ़ के द्वारा प्रस्तुत बंटवारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया। भूमिधारी तहसीलदार
उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

जमवारामगढ़ ने बटवारा हिस्से अनुसार किया। अतः वादी का वाद अन्तर्गत धारा 53, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम को अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाकर ग्राम पालडी खुर्द, तहसील जमवारामगढ़ जिला जयपुर में स्थित निम्नांकित आराजियात का तकासमा किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

—: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :—


क्र.सं.	वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है०	किस्म
1	काना पि० हुक्मा 1/8, डालूराम पि० शंकर 1/4 रहन पीएनबी शाखा खवारानीजी, प्रभूदयाल पुत्र दल्ला 1/8, बिरदा पि० हुक्मा 1/8, मन्नी पत्नि स्व०दल्ला 1/8, रामधन पि० दल्ला 1/8, श्यामलाल पि० दल्ला 1/8 जाति कोली सा०देह खातेदार	166 167	0.0253 5.1212	आबादी 0.0253 गै०मु० 0.2403 चाही 1— 1.7324 जाव 0.6702 नहरी 1 1.1886 नहरी 2 0.1770 बंजड 1 0.9357 बंजड 2 0.0632 बंजड डोल 0.1138
		किता 2	5.1465	5.1465

—: प्रस्तावित :—

खाता संख्या	प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है०	किस्म
1	डालूराम पि० शंकर जाति कोली सा०देह खातेदार रहन पीएनबी शाखा खवारानीजी	167 / 1 167 / 9 167 / 3 167 / 7	0.18 0.47 0.28 0.32	—
	योग	किता 4	1.25	—
2	काना पि० हुक्मा 1/6, बिरदा पि० हुक्मा 1/6, प्रभूदयाल, रामधन, श्यामलाल पि० दल्ला, मन्नी पत्नि दल्ला 2/3 जाति कोली सा०देह खातेदार	167 / 2 167 / 6 167 / 8	0.40 1.60 1.75	—
	योग	किता 3	3.75	—
3	शामलाती	167 / 4 167 / 5 166	0.0212 0.10 0.0253	—
	योग	किता 3	0.1465	—

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान राजस्व रिकार्ड में अलग-अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादी एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्से में आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया। अन्तिम पर्चा डिक्री जारी है।

निर्णय आज दिनांक 02/05/2024 को मेरे द्वारा टंकित कराया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।


उपखण्ड अधिकारी
जयपुर

डिक्री मुकदमा इबताई

(रूल्स 18-21)

अज अदालत न्यायालय उपखण्ड अधिकारी जमवारामगढ जिला जयपुर

डालूराम

बनाम

कानाराम वगै०

वाद अन्तर्गत धारा-53, 188 बटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा सा०टी०एक्ट

मुकदमा नम्बर - 80/2022

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू श्री ललित मीना बहाजिरी श्री अरविन्द शर्मा अधिवक्ता वादी व श्री रमेश कुमार जाजोरिया अधिवक्ता प्रतिवादी सं० 1 ता 3 व 5, 6 पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि वादी का वाद अन्तिम रूप से स्वीकार किया जाता है कि ग्राम पालडी खुर्द, तहसील जमवारामगढ जिला जयपुर में स्थित निम्नांकित आराजियात खसरा का तकासमा किया जाकर वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य मुताबिक बटवारा रिपोर्ट के निम्नानुसार विभाजन किया जाता है। उसी मुताबिक इन्हे खातेदार तन्हा घोषित किया जाता है।

—: वर्तमान जमाबन्दी अनुसार :—

खाता संख्या	वर्तमान जमाबन्दी अनुसार	आराजी नम्बर	रकबा है०	किस्म
1	काना पि० हुक्मा 1/8, डालूराम पि० शंकर 1/4 रहन पीएनबी शाखा खवारानीजी, प्रभूदयाल पुत्र दल्ला 1/8, बिरदा पि० हुक्मा 1/8, मन्नी पत्नि स्व०दल्ला 1/8, रामधन पि० दल्ला 1/8, श्यामलाल पि० दल्ला 1/8 जाति कोली सा०देह खातेदार	166 167	0.0253 5.1212	आबादी 0.0253 गै०मु० 0.2403 चाही 1- 1.7324 जाव 0.6702 नहरी 1 1.1886 नहरी 2 0.1770 बंजड 1 0.9357 बंजड 2 0.0632 बंजड डोल 0.1138
		किता 2	5.1465	5.1465


—: प्रस्तावित :—

खाता संख्या	प्रस्तावित	आराजी नम्बर	है०	किस्म
1	डालूराम पि० शंकर जाति कोली सा०देह खातेदार रहन पीएनबी शाखा खवारानीजी	167/1 167/9 167/3 167/7	0.18 0.47 0.28 0.32	—
	योग	किता 4	1.25	—
2	काना पि० हुक्मा 1/6, बिरदा पि० हुक्मा 1/6, प्रभूदयाल, रामधन, श्यामलाल पि० दल्ला, मन्नी पत्नि दल्ला 2/3 जाति कोली सा०देह खातेदार	167/2 167/6 167/8	0.40 1.60 1.75	—
	योग	किता 3	3.75	—
3	शामलाती	167/4 167/5 166	0.0212 0.10 0.0253	—
	योग	किता 3	0.1465	—

उप खण्ड अधिकारी
जमवारामगढ

उपरोक्त विभाजन अनुसार वर्तमान रेवन्यू रिकार्ड में अलग-अलग खाते दर्ज अंकित की जावे, साथ ही वादी एवं प्रतिवादीगण को हुक्म इक्तिनाइ दवामी से पाबन्द किया जाता है कि वादी एवं प्रतिवादीगण के हिस्से मे आई आराजीयात में किसी प्रकार से कब्जे में दखल अंदाजी नहीं करें। नक्शा ट्रेस प्रमाणित किया गया।

मेरे दस्तखत एवं मोहर से पर्चा डिक्री आज दिनांक 02/05/2024 को जारी की गई।


उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़

मिलान स्टाप अर्जी दावा			स्टाम्प अर्जी दावा		
मुदई	रुपये	पैसे	मुदालयह	रुपये	पैसे
स्टाम्प वकालतनामा			स्टाम्प वकालतनामा		
स्टाम्प वजूह सबुत			स्टाम्प वजूह सबुत		
महन्तानावकील			महन्तानावकील		
खर्चा गवाहान			खर्चा गवाहान		
बबत्हजराय हुक्मनामा			बबत्हजराय हुक्मनामा		
मुत0			मुत0		
मिलान			मिलान		


उपखण्ड अधिकारी
जमवारामगढ़